

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ  
Punjab & Sind Bank  
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax : 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ.ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ  
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ" ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,  
21, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ-110008  
H.O. Account & Audit Department  
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor  
21, Rajendra Place, New Delhi-110008

ਸੰਦਰਭ/Ref. No.

ਦਿਨਾਂਕ/Dated: .....

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2017-18

February 23, 2018

To,

<b>Bombay Stock Exchange Limited,</b> <b>Department of Corporate Services,</b> 25 <sup>th</sup> floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. <b>SCRIP ID : PSB</b> <b>SCRIP CODE : 533295</b>	<b>National Stock Exchange of India Ltd.,</b> Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. <b>SYMBOL: PSB SERIES: EQ</b>
--	--

Dear Sir,


**Reg: Update: Extraordinary General Meeting on 19<sup>th</sup> March 2018**

We are forwarding a copy of Notice for Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to be held on Monday, 19<sup>th</sup> March 2018 at 10.00 AM at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No.3, Sector 3, Rohini, Delhi 110085.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

[Ajit Singh Ahuja]  
Company Secretary



प्रधान कार्यालय:— 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008

Head Office : 21 Rajendra Place, New Delhi – 110 008

## असाधारण सामान्य बैठक Extraordinary General Meeting

सोमवार, 19 मार्च 2018, प्रांत 10:00 बजे  
Monday, 19 March 2018, 10.00 A.M

स्थान

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज

संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3

सेक्टर 3, रोहिणी

दिल्ली-110085

Venue

**Punjab & Sind Bank**

Staff Training College

Institutional Area, Plot No.3

Sector 3, Rohini,

Delhi – 110085

# विषय सूची

## Contents

क्रम सं. S. No.	विषय Subject	पृष्ठ सं. Page No.
1.	सूचना NOTICE	3 11
2.	टिप्पणियां NOTES	5 12
3.	व्याख्यात्मक विवरणी EXPLANATORY STATEMENT	6 13
4.	प्रॉक्सी फॉर्म PROXY FORM	9 15
5.	उपस्थिति पर्ची सहित प्रवेश पास ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	10 16

## सूचना

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बੈठकें) अधिनियम 2008 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3, सैक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में सोमवार, 19 मार्च, 2018 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

### मद संख्या 1

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद “ योजना ” कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बੈठकें) विनियम, 2008 (जिसे इसके बाद “ विनियमन ” कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 ( जिसे इसके बाद इस संकल्प में “ अधिनियम ” कहा जाएगा ) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (भा.स.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/ अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति और स्वीकृति के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) अधिनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 (एल.ओ.डी.आर.) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबंध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जो इसके बाद संकल्प में “निदेशक मंडल कहा गया है), जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित, उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो / की जानी हो, प्रदान की जाती है कि निदेशक मंडल द्वारा इक्विटी के माध्यम से जिसका अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर है, को रु. 785 करोड़ के शेयरों को अधिमान के आधार पर निर्धारित मूल्य रु. 47.60 प्रति इक्विटी शेयर (जिसमें रु. 37.60 का प्रीमियम सम्मिलित है), सेबी आईसीडीआर अधिनियम के विनियम 76 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 16,49,15,966 शेयर सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें, जारी करें और उनका आबंटन करें।

“आगे निर्णय लिया गया कि निर्गम मूल्य निर्धारित करने की संबंधित तिथि 17.02.2018 है।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी/ स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संशोधन को स्वीकार करें।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प(ओं) के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले और आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अमूर्त रूप में जारी किया जाएगा और सेबी आईसीडीआर अधिनियमों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ नियमों की शर्तों के अंतर्गत होंगे जैसा कि “सेबी आईसीडीआर अधिनियमों” की अपेक्षा के अनुसार अवरुद्धता अवधि की अनिवार्यताओं के अधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित, यदि घोषित हो) समान माने जाएंगे।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामलें और विषय पर अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित एवं आवश्यक, उचित तथा वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय (सीएमडी)/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यकारी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी(अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उचित समझे।

## मद संख्या 2

निम्न को एक विशेष प्रस्ताव(ओं) के रूप में विचार करने के लिए और यदि फिट समझा जाता है तो बगैर संशोधन(ओं) के पास करने के लिए:

“संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद “ योजना ” कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) अधिनियम, 2008 (जिसे इसके बाद “अधिनियम” कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 ( जिसे इसके बाद इस संकल्प में “ अधिनियम ” कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार(भा.स.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/ अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति और स्वीकृति के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 (एल.ओ.डी.आर.) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबंध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जो इसके बाद संकल्प में ‘निदेशक मंडल’ कहा गया है), जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित, उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो / की जानी हो, प्रदान की जाती है कि निदेशक मंडल द्वारा:

क. इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य रूपए 10.00 प्रति शेयर है, जिनकी कुल राशि रु. 1215 करोड़ (एक हजार दो सौ पंद्रह करोड़ रूपए मात्र) ऐसे प्रीमियम सहित जैसा कि सेबी के दिशा-निर्देशानुसार अथवा ऐसी अन्य राशि पर जैसा कि भारत सरकार एवं भा.रि. बैंक द्वारा अनुमोदित हो, सार्वजनिक निर्गम द्वारा(अर्थात् सार्वजनिक प्रस्ताव का अनुसरण)/ राइट इश्यू/ अहर्ता प्राप्त संस्थानों को आवंटन(ओं)/ और/ अथवा अन्य किसी साधन से या सहयोग से 12 महीने की अवधि अथवा सेबी अधिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य किसी समय सीमा के अंदर तक एक या कई श्रृंखलाओं में, इस शर्त के साथ कि किसी भी क्षण भारत सरकार की शेयर धारिता 52% से कम नहीं हो।

ख. सेबी अधिनियमों और ऐसे निर्गम की समय-सारणी, इसके विवेक पर जारी करने, लागू नियमों और अधिनियमों तथा उसको सूचीबद्ध करने जैसा कि भारत सरकार एवं भा.रि. बैंक के अनुमोदन द्वारा मात्रा एवं प्रकार(ओं), श्रृंखलाओं की संख्या, मूल्य, डिस्काउंट/ प्रीमियम, कार्मिकों को आरक्षण, वर्तमान शेयरधारक और/ या अन्य कोई व्यक्तियों/ निवेशकों का वर्ग जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आवंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी/ स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संशोधन को स्वीकार करें।”


“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प(ओं) के अनुसरण में सार्वजनिक निर्गम द्वारा(अर्थात् सार्वजनिक प्रस्ताव का अनुसरण)/ राइट इश्यू/ अहर्ता प्राप्त संस्थानों को आवंटन(ओं)/ और/ अथवा अन्य किसी साधन से या सहयोग से एक या अधिक श्रृंखला में 12 महीने की अवधि अथवा सेबी अधिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य किसी समय सीमा के अंदर अधिमान आधार/ अन्य किसी तरीके से जारी किए जाने वाले और आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अमूर्त रूप में जारी किया जाएगा केवल राइट इश्यू को छोड़ कर जहाँ शेयरों को दोनों मूर्त तथा अमूर्त रूप में जारी किया जा सकता है और एन.आर.आई., एफ.आई.आई., और/ या पात्र विदेशी निवेशकों को जोकि भा.रि. बैंक और/ या सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ नियमों की शर्तों के अंतर्गत होंगे जैसा कि “सेबी आईसीडीआर अधिनियमों ” की अपेक्षा के अनुसार अवरूद्धता अवधि की अनिवार्यताओं के अधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित, यदि घोषित हो) समान माने जाएंगे।”

“यह भी संकल्प लिया गया कि अहर्ता प्राप्त संस्थागत प्रोफेशनल के मामलों में, इस प्रयोजन के लिए गठित निदेशक मंडल अथवा बोर्ड को लीड प्रबंधकों की सलाह के साथ और/ या अंडर राइटर्स और/ या अन्य सलाहकारों को अहर्ता प्राप्त खरीददारों को सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत मूल्य फार्मूले द्वारा निर्धारित मूल्य पर 5 % (पाच प्रतिशत) तक के डिस्काउंट पर इक्विटी शेयरों को आवंटन करने का अधिकार होगा तथा समय-समय पर संशोधित सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में संबंधित तिथि होगी।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामलें और विषय पर अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्वटी शेरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित एवं आवश्यक, उचित तथा वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय (सीएमडी)/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यकारी निदेशक या निदेशकों की समिति अथवा अन्य अधिकारी(अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उचित समझे।

निदेशक मंडल के आदेश से  
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

  
(फरीद अहमद)

कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 19.02.2018

## टिप्पणियां :

### 1. व्याख्यात्मक कथन

बैठक में कार्य व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्यात्मक जानकारी अनुबंध में दी गई है।

### 2. वोटिंग का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेरधारक अपने पास धारित शेरों के संबंध में बैंक के कुल शेरधारकों का दस प्रतिशत से अधिक के अपने शेरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएगा/ पाएगी। उपर्युक्त के अध्यक्षीन ऐसा प्रत्येक शेरधारक जिसे शेरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, हाथ खड़ा करके केवल एक वोट देने का अधिकारी होगा तथा मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेर के लिए वोट देने का अधिकारी होगा तथा केंद्रीय सरकार के अलावा उसके पास अधिकतम 10 % कुल अधिकार होंगे।

अधिनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेर, दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसको वोटिंग के संबंध में उस शेर का एकमात्र धारक माना जाएगा।

### 3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने का पात्र शेरधारक अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को बैठक में उपस्थित होने हेतु नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी को बैंक का शेरधारक होना आवश्यक नहीं है।

यद्यपि, इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

विनियम संख्या 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखित का कोई प्रदाता ऐसी किसी बैठक में स्वयं वोट देने का अधिकारी नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंध रखता है।

प्रॉक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक को अपने प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग, (शेयर कक्ष), 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैठक से 4 दिन पहले तक अर्थात् दिनांक 14.03.2018 को साँय 5.00 बजे अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाए।

### 4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति ऐसे निगमित निकाय जो बैंक के शेरधारक हों, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण सामान्य बैठक में तब तक न तो उपस्थित हो सकता है और न ही वोट दे सकता है जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि, बैठक की तारीख से 4 दिन पहले अर्थात् दिनांक

14.03.2018 को साँय 5.00 बजे अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग, (शेयर विभाग), 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008 को प्राप्त हो जाए। विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

शेयर धारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश सत्यापन / जाचों, जो भी आवश्यक समझा जाए, के आधार पर होगा तथा उन्हें वैध पहचान पत्र के प्रमाण अर्थात् वोटर पहचान पत्र / कर्मचारी पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / डाइविंग लाइसेंस इत्यादि को साथ लेकर आएं।

### 5. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है।

शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक-स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर यथास्थिति 'प्रॉक्सी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' लिखें।


6. जिन शेयरधारकों के नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दिनांक 12.03.2018 (शुक्रवार) अर्थात् निर्धारित अंतिम(कट ऑफ) तिथि को होंगे, वे ई-वोट (प्रक्रिया संलग्न) बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने के पात्र होंगे। कृपया नोट करें कि जिन शेयरधारकों ने ई-वोट के माध्यम से अपने वोट डाले हैं वे बैठक में वोट देने के पात्र नहीं होंगे परन्तु बैठक में उपस्थित हो सकते हैं।

### अन्य सूचना :

- कृपया शेयरधारक नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/ उपहार कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

- सुरक्षा कारणों से ब्रीफकेस, खाद्य एवं अन्य संबंधित वस्तुएं बैठक कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। बैठक में आने वाले व्यक्तियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेश से  
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

  
(फरीद अहमद)

कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 19.02.2018

## व्याख्यात्मक कथन एवं प्रकटन:

सेबी (आईसीडीआर) की शर्तों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रकटन :

### मद संख्या-1

क) अधिमान निर्गम के उद्देश्य

भारत सरकार का बैंक में रु. 785 करोड़ तक की पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है ताकि (क) न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टीयर I (सीईटी-I) के नियमों के अनुसार नियामक पूंजी नियम एवं शर्तों को पूर्ण एवं पूंजी की बफर आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके (ख) अधिक ऋण प्रदान करने के लिए पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बैंक प्रयासों को सहायता दी जा सके। पूंजी का निवेश सृजन, निर्गम और आवंटन के अधिमान आधार पर होगा। जुटाई गई पूंजी से पूंजी पर्याप्तता में सुधार तथा बैंक की ऋण देने में वृद्धि करने हेतु निधियन में उपयोग किया जाएगा।

ख) सेबी आईसीडीआर अधिनियमों के विनियम 76 के अनुसार निर्गम के मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। निर्गम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए संबंधित तिथि 17.02.2018 है।

ग) बैंक की शेयर धारिता स्वरूप, शेयर के निर्गम से पहले तथा बाद में निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले		निर्गम के बाद	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
क.	प्रवर्तक धारिता (भारत सरकार)	31,88,22,775	79.6239	48,37,38,741	85.5680
ख.	अन्य शेयर धारक	8,15,88,252	20.3761	8,15,88,252	14.4320
	कुल योग	400,411,027	100.0000	56,53,26,993	100.0000

भारत सरकार की निर्गम के बाद शेयर धारिता 85.5680 % रहेगी और जिसके कारण नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

ग) बैंक का प्रयास सेबी आईसीडीआर अधिनियमों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर निर्गम जारी करने का है।

घ) प्रस्तावित आवंटियों की पहचान और अधिमान पूंजी निर्गम के बाद का प्रतिशत जोकि उनके पास धारिता होगी तथा नियंत्रण में परिवर्तन यदि कोई है, अधिमान निर्गम जारी करने के बाद:

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम से पहले	31,88,22,775	79.6239
निर्गम के बाद	48,37,38,741	85.5680

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार का बैंक के ऊपर नियंत्रण बना रहेगा और प्रस्तावित अधिमान आवंटन के कारण बैंक प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार को जारी ईक्विटी शेयर 5% से अधिक हैं, बैंक भारत सरकार हेतु सेबी से आवेदन करने की प्रक्रिया में है ताकि सेबी (शेयरों का पर्याप्त कब्जा एवं अधिग्रहण) अधिनियम, 2011 के लागू होने से छूट प्राप्त हो सके।

अवरुद्ध अवधि:- सेबी(एलओडीआर) अधिनियमों के अनुसार:

विशेष प्रस्ताव के अनुसार आवंटित किए गए शेयरों हेतु स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी अनुमोदन की तिथि से भारत सरकार को अधिमान से पूर्व जारी संपूर्ण शेयरधारिता संबंधित तिथि से आरम्भ छः महीने की अवधि हेतु अवरुद्ध अवधि में रहेगी। प्रवर्तकों को अधिमान आधार पर प्रस्तावित जारी किए जाने वाले नए ईक्विटी शेयर अर्थात् भारत सरकार के शेयर ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की अवरुद्धता अवधि में रहेंगे।

ड) केंद्रीय सांविधिक लेखाकारों द्वारा जारी प्रमाणपत्र जोकि प्रमाणित करता हो कि अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार निर्गम जारी किया जा रहा है, ई.जी.एम. में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

च) भारत सरकार की धारिता में सभी शेयर डीमेट रूप में हैं और बैंक के शेयर जिन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए करार, सेबी के विभिन्न अधिनियमों में निर्धारित ईक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता के नियम एवं शर्तों का बैंक अनुपालन कर रहा है। भारत सरकार ने संबंधित तिथि से छः महीने की अवधि के अंदर कोई शेयर नहीं बेचा है।

छ) भारत सरकार के पक्ष में जारी किए जाने वाले शेयर सेबी आईसीडीआर अधिनियमों/अन्य कोई सांविधिक अनुमोदन जैसा कि संबंधित समय और उसके किसी संशोधन सहित, की शर्तों के अधीन हैं।

ज) कोई भी निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधन व्यक्ति ईक्विटी शेयरों में अभिदान नहीं देगा।

झ) उपर्युक्त ढग से जारी किए गए ईक्विटी शेयर घोषणा के समय जोर दिए गए संवैधानिक दिशा-निर्देशों के अनुसरण में बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के साथ घोषित लाभांश सहित सभी दृष्टियों से समान होंगे।

ञ) बैंक सेबी आईसीडीआर अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ईक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनः गणना करने का वचन देता है जहाँ ऐसा करना आवश्यक है।

ट) बैंक बचन देता है कि मूल्यों की पुनः गणना करने पर देय राशि का इन अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित समय में भुगतान नहीं होता है, निर्धारित प्रतिभूतियां अवरुद्ध अवधि में बनी रहेंगी जब तक कि आवंटी द्वारा ऐसी राशि का भुगतान नहीं हो जाता है।


### मद संख्या-2

उद्देश्य: न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टीयर I (सीईटी-I) के नियमों के अनुसार नियामक पूंजी नियम एवं शर्तों को पूर्ण एवं पूंजी की बफर आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके (ख) अधिक ऋण प्रदान करने के लिए पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बैंक प्रयासों को सहायता दी जा सके। जुटाई गई पूंजी से पूंजी पर्याप्तता में सुधार तथा बैंक की ऋण देने में वृद्धि करने हेतु निधियन में उपयोग किया जाएगा।

आपके निदेशक इस संकल्प को आपके अनुमोदन हेतु पारित किए जाने की संस्तुति करते हैं।

बैंक के निदेशकों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता से अथवा भारत सरकार के नामित के रूप में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक संकल्प(ओं) की सूचना से संबंध अथवा उसमें रुचि रखने वाला माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से  
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

  
(फरीद अहमद)

कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 19.02.2018



## ई-वोटिंग प्रक्रिया

### पंजाब एण्ड सिंध बैंक की असाधारण सामान्य बैठक के लिए ई-वोटिंग

बैंक कंपनीज़ (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुसार, असाधारण सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

सदस्यों के हेतु इलेक्ट्रॉनिक विधि से वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:-

- (i) दिनांक 16.03.2018 को प्रातः 10 बजे मतदान अवधि आरम्भ होगी और दिनांक 18.03.2018 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 12.03.2018 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
  - (ii) शेयरधारकों को ई.वोटिंग साइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।
  - (iii) शेयरधारक पर क्लिक करें।
  - (iv) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
- क. सीएसडीएल हेतु - 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
- ख. एनएसडीएल हेतु - 8 स्वरूप की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
- ग. भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
- (v) दर्शायी गई ईमेज को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
  - (vi) यदि आपके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और आपने [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
  - (vii) यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करें:

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यू मेरिक*पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) <ul style="list-style-type: none"><li>• ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना PAN कंपनी / डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में क्रम संख्या जो पोस्टल बिलेट/ उपस्थिति पर्ची पर प्रिंट है पैन फील्ड में प्रविष्ट करें।</li></ul>
जन्म-तिथि	डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते के रिकॉर्ड के अनुसार या फोलियो में दिन /माह / वर्ष रूप में अपनी जन्म-तिथि प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण	<ul style="list-style-type: none"><li>• कृपया जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण लॉगइन करने हेतु करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियों संख्या जैसा कि (iv) में उल्लेखित है, प्रविष्ट करें।</li></ul>

- (viii) इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात्, "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- (ix) सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उनके द्वारा लॉगिन पासवर्ड, नए पासवर्ड स्थान में बदल कर देना आवश्यक है। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड, डीमेट धारकों द्वारा, किसी भी कंपनी, जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें CDSL द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- (x) सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग इस नोटिस में ई-मतदान हेतु दिए गए मसौदे में किया जा सकता है।
- (xi) पंजाब एण्ड सिंध बैंक हेतु "EVSIN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- (xii) वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष हाँ/ नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक हाँ अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
- (xiii) यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" को क्लिक करें।
- (xiv) वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात् SUBMIT पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इसप्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।



(xv) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xvi) आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ पर “प्रिंट लेने हेतु यहा क्लिक करें” पर क्लिक कर ले सकते हैं।

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेल सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।

(xviii) शेयरधारक अपना मतदान सीडीएसएल की मोबाईल एप एम-वोटिंग का उपयोग करते हुए कर सकते हैं जोकि एन्ड्रायड आधारित मोबाईलों हेतु उपलब्ध है। एम-वोटिंग मोबाईल एप को गूगल के प्ले स्टोर से हासिल किया जा सकता है। एप्पल और विंडो फोन का उपयोग करने वाले एप्पल स्टोर तथा विंडो फोन स्टोर से क्रमशः एप प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोबाईल पर मतदान करते समय मोबाईल एप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।

(xix) अवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट

- अवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक से अलग, हिंदू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों को [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) लॉगइन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को [helpdesk.evotingindia@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evotingindia@cdslindia.com) पर ई-मेल कर देना चाहिए।
- लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद admin लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता(ओं) को लिंक करने में समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- सभी खातों की सूची [helpdesk.evotingindia@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evotingindia@cdslindia.com) को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटॉर्नी और बोर्ड संकल्प की स्कैनड प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि छानबीन करने वाला उसको सत्यापित कर सके।

(xx) व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस को प्रेषित करने के बाद भी ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।

टिप्पणी: यदि कोई सदस्य(ओं) अपने वोट दोनों अर्थात भौतिक रूप या ई-वोटिंग से मतदान करता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य रहेगा तथा भौतिक मतदान को अनदेखा कर दिया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वह असाधारण सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किंतु पोल में वोट नहीं कर सकता।

श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव(सीपी नं. 4629) को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे बैठक संपन्न होने के 48 घंटों के भीतर अक्षरशः, असाधारण सामान्य बैठक की संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

अध्यक्ष द्वारा घोषित परिणाम के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद डाल दिया जाएगा;

पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर संकल्प को असाधारण सामान्य बैठक के दिन पारित माना जाएगा;

बैठक की सूचना [www.psbindia.com](http://www.psbindia.com) तथा [www.cdsindia.com](http://www.cdsindia.com) पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न ( “FAQs”) पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत [www.evoting@cdsindia.com](mailto:www.evoting@cdsindia.com) पर ई-वोटिंग मेनुअल उपलब्ध है या

[helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) को ई-मेल करें या श्री राकेश दल्वी, डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 25वां माला, विंग ए मारटोन फ्यूचर एक्स, मफतलाल मिल्स कॉम्पाउण्ड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (ई) मुम्बई-400013, दूरभाष नं. 18002005533 या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, 44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-28 दूरभाष नं. 011- 41410592, 41410593 या [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in) को ई-मेल करें।



# पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

(असाधारण सामान्य बैठक: 19.03.2018)

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

[शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए]

मैं/हम-----निवासी-----  
 -----जिला-----राज्य-----  
 -----का/की/के हैं जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/ श्रीमति-----  
 -----निवासी-----  
 -----जिला-----, राज्य-----को अथवा उनके  
 उपस्थित न हो सकने पर श्री/ श्रीमति-----  
 -----निवासी-----जिला-----राज्य-----  
 -----को सोमवार, दिनांक 19 मार्च 2018 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में जोकि पंजाब  
 एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में आयोजित होगी तथा इसके  
 अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सीर नियुक्त करता हूँकरते हैं। --  
 -----माह के -----दिन 2018 को हस्ताक्षरित  
 पंजीकृत फोलियो न./ग्राहक का आईडी.न.  
 शेयरों की संख्या

कृपया रसीदी  
टिकट लगाएं

प्रॉक्सी- के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

एकल/ प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम:

पता :

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सीर प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक कि:
  - व्यक्ति शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
  - संयुक्त शेयरधारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
  - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटार्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
- प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आस्थासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
- प्रॉक्सी, के साथ:
  - अटार्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
  - नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटार्नी अधिकार की प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार 14 मार्च 2018 (5.00 बजे सायंकाल) को कार्यसमय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि संबंधित अटार्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटार्नी अधिकार का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "B" पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
- बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे असाधारण सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगी जिससे वह प्रलेख संबंधित है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सीर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।



## पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

### उपस्थिति पर्ची

#### असाधारण सामान्य बैठक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,  
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085

सोमवार, 19 मार्च, 2018 प्रातः 10.00 बजे

[कृपया उपस्थिति पर्ची को पूर्ण रूप से भर दें एवं बैठक हॉल के पंजीकरण काउंटर पर उसे सौंप दें]

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/ प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			



## पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

### प्रवेश पास

#### असाधारण सामान्य बैठक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,  
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085

सोमवार, 19 मार्च, 2018 प्रातः 10.00 बजे

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/ प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

नोट - मतदान की स्थिति में मतपत्र केवल प्रवेश पास पर जारी किया जाएगा।

## NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 57 of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PUNJAB & SIND BANK will be held on Monday, 19th day of March, 2018 at 10.00 a.m. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No. 3 Sector 3, Rohini, Delhi - 110 085, to transact the following business:

### ITEM NO.1

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as Special Resolution(s):

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the “Regulations”) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed, stipulated or imposed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [SEBI (ICDR) Regulations], SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “Board”) which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/ may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution to create, offer, issue and allot 16,49,15,966 Equity Shares to the President of India (Government of India) of the face value of Rs. 10/- each aggregating up to Rs 785 crore on preferential basis at a issue price of Rs. 47.60 per Equity Share (including premium of Rs. 37.60 per Equity Share) determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 17.02.2018.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification(s) in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of the Resolution(s) shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements, as required under “SEBI (ICDR) Regulations” and shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines and or any other law that are in force at the time of such declaration.”

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the Resolutions, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director (CMD) / Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions.”

### Item No.2

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as Special Resolution(s):

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the “Regulations”) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed, stipulated or imposed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [SEBI (ICDR) Regulations], SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “Board”) which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/ may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution to:

- create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of face value of Rs 10/- in aggregate up to Rs 1215 crore (Rupees One Thousand Two Hundred Fifteen Crore Only) inclusive of such premium as may be fixed as per SEBI Guidelines or such other amount as may be approved by GOI & RBI, by way of Public Issue (i.e. Follow on Public Offer) / Right Issue / Qualified Institutional Placement(s) / and/or any other mode or a combination(s) thereof in one or more tranches within a period of twelve months or any other timeline specified by SEBI regulations subject to the condition that the GOI shareholding in equity capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time.
- to decide the quantum & mode(s), number of tranches, prices, discount/premium, reservations to employees, existing shareholders and or any other persons /class of investor as may be decided by the Board and as provided under SEBI Regulations and the timing of such issue(s), at its discretion subject to the applicable rules and regulations and GOI & RBI approval.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification(s) in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”


**"RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued and allotted by way of Public Issue (Follow on Public Offer) / Right Issue / Qualified Institutional Placement(s) / Preferential Issue / or any other mode or a combination(s) thereof in one or more tranches within a period of twelve months or any other timeline specified by SEBI regulations in pursuance of the Resolution(s) shall be issued in dematerialized form, except for Rights issue where the shares may be issued in both the physical and dematerialized form, and the equity shares so issued and allotted to NRIs, FII and / or other eligible foreign investors shall be subject to the Guidelines/ Rules & Regulations issued by RBI and / or SEBI. The equity shares to be issued and allotted shall be subject to lock-in requirements, as required under "SEBI (ICDR) Regulations" and shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines and or any other law that are in force at the time of such declaration."

**"RESOLVED FURTHER THAT** in case of QIP, the Board or the Committee of the Board constituted for the purpose shall in consultation with the lead managers and/ or underwriters and / or other advisors have the authority to make the allotment of equity shares only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) at a discount of not more than 5% (five percent) on the price determined in accordance with the pricing formula under SEBI (ICDR) Regulations 2009 and the relevant date for the purpose shall be in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations 2009, as amended from time to time.

**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the Resolutions, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director (CMD) / Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or Executive Director(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors  
For PUNJAB & SIND BANK

  
(Fareed Ahmed)  
Executive Director

Place : New Delhi  
Date: 19.02.2018

## NOTES:

### 1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

### 2. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote per equity share subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register of shareholders shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

### 3. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend instead of himself/herself, and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Regulations.

As per the Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Accounts Department (Share Cell), 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Wednesday, 14th March 2018.

### 4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at HO Accounts Department (Share Cell), 21 Rajendra Place, New Delhi-110 008 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Wednesday, 14th March 2018. No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Regulations.

### 5. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorised Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.


Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voter ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc.

### 6. Shareholders whose names appear in the Register of Shareholders of the Bank on 12th March, 2018 being the "Cut-Off Date" fixed, shall be entitled to e-vote (procedure annexed) / attend and vote at the meeting. Please note that shareholders who have casted vote through e-voting shall not be entitled to vote at the meeting but they can attend the meeting.

#### Other Information:

- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the meeting hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By order of the Board of Directors  
For PUNJAB & SIND BANK

  
(Fareed Ahmed)  
Executive Director

Place : New Delhi  
Date: 19.02.2018

## EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURES:

### ITEM No: 1

Disclosure as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations:

- a) **Objects of the Preferential Issue**  
For supplementing the Bank's efforts in (a) meeting regulatory capital norms in terms of minimum Common Equity Tier I (CET-I) and Capital Buffer requirements and (b) augmenting growth capital for enhanced credit off-take, Government of India proposes to infuse capital to the extent of Rs 785 crores to the Bank. The Capital infusion will be by way of creation, issue and allotment of equity shares on preferential allotment basis. The Capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund the credit growth of the Bank.
- b) The issue price shall be determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations. The 'Relevant Date' for ascertaining the issue price is 17.02.2018.
- c) The share holding pattern of the Bank, before and after Preferential issue of shares will be as under :

S. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares	% age of Shares holding	No. of Shares	% age of Shares holding
A	Promoter's Holding (GOI)	31,88,22,775	79.6239	48,37,38,741	85.5680
B	Other Shareholders	8,15,88,252	20.3761	8,15,88,252	14.4320
	<b>Total</b>	<b>400,411,027</b>	<b>100.0000</b>	<b>56,53,26,993</b>	<b>100.0000</b>

The post issue holding of the Government of India will stand at 85.5679 % and consequently, there will be no change in control.

- d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as per SEBI ICDR Regulations.
- e) The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

	Number of Shares	Percentage of Capital
<b>Pre - Issue</b>	31,88,22,775	79.6239
<b>Post - Issue</b>	48,37,38,741	85.5680

The existing promoters of the Bank i.e. the Government of India (GOI) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment. As the equity shares issued to GOI will be more than 5% in this Financial Year, the Bank is in the process of making an application on behalf of GOI with SEBI seeking their exemption from the applicability of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011

- f) The Equity Shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (e), (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.
- g) **Lock in Period:-** In terms of SEBI (LODR) Regulations:
- the entire pre-preferential holding of GOI will be locked-in for a period of six months commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of Trading Approval issued by the Stock Exchanges for the shares to be allotted pursuant to the Special Resolution.
  - the new equity shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India shall be subject to a lock in period of three years from the date of trading approval in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2009.
- h) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations, will be made available for inspection at the EGM.
- i) All Equity Shares held by Govt. of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the various SEBI regulations, Listing Agreement with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date
- j) The issuance of Equity Shares in favour of Govt. of India shall be subject to SEBI (ICDR) Regulations/any other statutory approval, as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.
- k) None of the Directors or Key Management persons will subscribe to the Equity Shares.
- l) The Equity Shares to be issued as above shall rank pari-passu in all respects including dividend, if any, with the existing Equity Shares of the Bank.
- m) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR) Regulations where it is required to do.
- n) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottee.


### ITEM No: 2

**Objects:-** For supplementing the Bank's efforts in (a) meeting regulatory capital norms in terms of minimum Common Equity Tier I (CET-I) and Capital Buffer requirements and (b) augmenting growth capital for enhanced credit off-take. The Capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund the credit growth of the Bank.

Your Directors recommend the resolution(s) for your approval.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution (s) to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

By order of the Board of Directors  
For PUNJAB & SIND BANK

  
(Fareed Ahmed)  
Executive Director

Place : New Delhi  
Date: 19.02.2018

## E-VOTING

### E-Voting for the Extra Ordinary General Meeting of Punjab & Sind Bank

In terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the **Extra Ordinary General Meeting**

#### The instructions for shareholders voting electronically are as under:

- (i) The voting period begins on 16.03.2018 at 10.00 a.m. and ends on 18.03.2018 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 12.03.2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
- (iii) Click on Shareholders/Members.
- (iv) Now Enter your User ID
  - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
  - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
  - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)  Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot/Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yy) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.  If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id/folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv). in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take print out of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If a Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xix) Note for Non - Individual Shareholders and Custodians
  - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and register themselves as Corporates.
  - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
  - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
  - The list of accounts linked in the login should be mailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
  - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xix) Person who have acquired shares and become members after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.

**Note:** In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored. However, shareholder(s) who have casted their vote through e-voting can participate in Extra Ordinary General Meeting but cannot vote in poll.

Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary (CP No. 4629) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Extra Ordinary General Meeting, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Extra Ordinary General Meeting within 48 hours of the conclusion of the meeting;


The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL e-voting immediately after the result is declared by the Chairman;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the date of the Extra Ordinary General Meeting;

#### Notice of the meeting is also displayed at [www.psbindia.com](http://www.psbindia.com) and [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com).

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 25th floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parale (E), Mumbai-400013, Phone-1800225533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, 44-Community Centre, 2nd floor, Naraina Indl Area, Phase-I, New Delhi-28 Phone-41410592, 41410593 or write an email to [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in).





HO : 21 - RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008  
(EXTRAORDINARY GENERAL MEETING): 19.03.2018

FORM 'B'  
FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....resident of.....  
.....in the district of.....in the State of.....being a shareholder / shareholders of the  
Punjab & Sind Bank, hereby appoint Shri/Smt .....resident of.....in the district of  
.....in the State of.....or failing him/her, Shri/Smt .....  
resident of .....in the district of .....in the State of .....  
as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on Monday  
the 19th March, 2018 at 10.00 A.M. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No. 3 Sector3, Rohini, Delhi - 110 085 and at any  
adjournment thereof.

Signed this ..... day of ..... 2018

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares :

Please affix  
Revenue  
Stamp

.....  
Signature of Proxy

.....  
Signature of the sole / first named shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
  - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
  - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
  - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
- The proxy together with
  - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
  - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with Punjab & Sind Bank, Head Office Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of Wednesday, the 14th day of March, 2018.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.
- In case any shareholder has casted vote by e-voting, then proxyholder can attend the meeting but cannot vote by poll.

**ATTENDANCE SLIP**  
**EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**  
**PUNJAB & SIND BANK, STAFF TRAINING COLLEGE, INSTITUTIONAL AREA,**  
**PLOT NO. 3 SECTOR 3, ROHINI, DELHI - 110 085**

MONDAY, MARCH 19, 2018, 10.00 a.m.

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder Proxy Authorised Representative			

**ENTRY PASS**  
**EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**  
**PUNJAB & SIND BANK, STAFF TRAINING COLLEGE, INSTITUTIONAL AREA,**  
**PLOT NO. 3 SECTOR 3, ROHINI, DELHI - 110 085**

MONDAY, MARCH 19, 2018, 10.00 a.m.

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder Proxy Authorised Representative			

Note :In case of polling, Ballot Paper will be issued against the entry pass only.